फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)।

संख्या :- 154/2024

जूली गर्ग बनाम सरकार

दिनांक आज्ञा व कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
.10.2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण श्री मुकेश मामोडिया हाजिर। अप्रार्थी सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू जवाब प्राप्त हो चुका है। प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 05.11.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी चाकसू(जयपुर)	
.11.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी सरकार का जवाब प्राप्त हुआ जो संलग्न है। बहस प्रार्थी की सुनी गई। प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा०टे० एक्ट बाबत् का पेश किया है। प्रार्थीगण विवादित भूमि खाता संख्या 101 के खसरा नंबर 15, 16, 18, 20 कुल किता 04 कुल रकबा 0.72 है० एवं खाता संख्या 105 के खसरा नंबर 21 लगायत 24, 28, 32 लगायत 35, 38, 39 कुल किता 11 कुल रकबा 3.60 है० तथा खाता संख्या 36 के खसरा नंबर 17, 30, 31 कुल किता 03 कुल रकबा 0.39 है० व खाता संख्या 103 के खसरा नंबर 37 रकबा 0.95 है० वाके ग्राम नाहरिया का वास पटवार हल्का शिवदासपुरा तहसील चाकसू में प्रार्थी व अन्य सहखातेदारों के रिकोर्डेड काबिज काश्तकार होना बताया है। रिकार्ड में प्रार्थी की जाति कुम्हार (प्रजापति) दर्ज होना बताया है जबकि उनके वास्तविक जाति महाजन दर्ज होना बताया है। प्रार्थी/वादीगणों के इस आशय का शपथ पत्र पेश किया है कि अप्रार्थी सरकार ने जवाब ने जाहिर किया है कि विवादित भूमि में वारिस काबिज काश्त होना जाहिर किया गया है। उसके उपरान्त राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया की जाति कुम्हार (प्रजापति) दर्ज चली आ रही है। अतः जवाब सरकार एवं प्रार्थी के शपथ पत्र के आधार पर यह स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थीया की जाति कुम्हार (प्रजापति) के स्थान पर महाजन की जावें। अतः प्रार्थीया की जाति महाजन भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी चाकसू(जयपुर)	